

प्रेषक,

अश्वनी कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

✓ निदेशक,
पंचायतीराज,
उ०प्र०, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 19 मई, 2015

विषय:- उत्तर प्रदेश पंचायतराज सेवा संवर्ग में संयुक्त सचिव के नव सृजित पद के स्थान पर अपर निदेशक (पंचायत) मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ का एक पद सृजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1584 / 33-1-2013-3197 / 2010, दिनांक-27-6-2013 द्वारा उ०प्र० पंचायत सेवा संवर्ग में सृजित संयुक्त सचिव के पद को एतद्वारा निरस्त/समाप्त करते हुए इसके स्थान पर अपर निदेशक (पंचायत), मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ का एक पद वेतन बैण्ड-4 वेतनमान रु०-37400-67000 ग्रेड वेतन रु०-8700/- में अस्थाई रूप से दिनांक-29-2-16 तक की अवधि के लिए, यदि इससे पूर्व यह पद समाप्त न कर दिया जाय, को सृजित करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त पद उ०प्र० पंचायतराज विभाग (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2004 के अन्तर्गत उ०प्र० पंचायत सेवा संवर्ग में अतिरिक्त बृद्धि के रूप में माना जायेगा।

3— उक्त पद के पदधारक को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते अनुमन्यता के आधार पर देय होंगे।

4— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के “लेखा शीर्षक-2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम—आयोजनेत्तर-001 निदेशन तथा प्रशासन-03 पंचायतीराज निदेशालय” के नामे डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-य०३०० ई-२-४४६ / दस-१५, दिनांक-१५ मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अश्वनी कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

जिं० पं० रा० अ० (मु०)

निदेशक
२०१५

संख्या-337(1) / 33-1-2015, तदिदनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-2, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2— वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- 3— वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 4— वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- 5— पंचायतीराज अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- 6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अश्वनी कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

१०५-२
२०१५
२१५१५
०५२०१५